न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
260 / 2023	25.07.2023	26.02.2024

उनवान

1. श्रीमती ऐजी पुत्री बालु बैरवा पानी श्रीला बथरक निवासी सिदडियास तह0 व जिला भीलवाडा (राज)
2. श्री कल्याण पुत्र नन्दा बैरवा उम्र बयस्क निवासी खापडा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. श्रीमती केसर पुत्री बालुवा पत्नी श्री भैरू बैरवा उम्र वयस्क निवासी पढ़ा तहसील व जिला भीलवाडा (राज)
4. श्री कालू पुत्र श्री मोहन बैरवा उम्र वयस्क निवासी सावडा तहसील जिलाभीलवाडा (राज)
5. श्रीमती कोयली पुत्री श्री भोला बेरवा पत्नी श्री मोहन बेरवा उम्र वयस्क निवासी खायड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
6. श्री गोपाल पुत्र श्री नाना बैरवा उम्र वयस्क निवासी खायंडा तहसील में जिला भीलवाड़ा (राज.)
7. श्री चान्दु पत्नी श्री मोहन बैरवा उम्र बयरक निवासी खायड़ा तहसील व जिला भीलवाडा (राज.)
8. श्रीमती तुलसी पत्नी श्री नाना बैरवा उम्र वयस्क निवासी खायडा तहसील व जिला भीलवाडा (राज.)
9. श्री धन्ना पुत्र श्री गणेश बैरवा उम्र वयस्क निवासी खायडा तहसील व जिला भीलवाडा (राज.)
10. श्रीमती नोसी पुत्री श्री नाना बैरवा पत्नी श्री सोहन जी बैरवा उम्र वयस्क निवासी सालरिया क़लां तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
11. श्रीमती राधा पुत्री श्री नाना पत्नी श्री गोपाल जी बैरवा उम्र वयस्क निवासी सरदार नगर, तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
12. श्री रामलाल पुत्र श्री मोहन बैरवा उम्र वयस्क निवासी खायड़ा तहसील व जिला भीलवाडा (राज.)
13. श्रीमती सजनी पुत्री श्री बालु बैरवा पत्नी श्री मोहन बैरवा उम्र वयस्क निवासी चमनपुरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
14. श्रीमती हस्तु पुत्री श्री बालु बैरवा पत्नी श्री भैरू बैरवा उम्र वयस्क निवासी खायड़ा तहसील व जिला भीलवाडा (राज.)

– प्रार्थीगण

बनाम

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

1. श्रीमती कैलाशी देवी पुत्री श्री लोभचन्द खटीक उम्र वयस्क निवासी भीलवाड़ा (राज.)
2. श्रीमती गंगा पुत्री भारमल बैरवा पत्नी श्री मांगीलाल बैरवा के बजायः–
   2/1 गमनी देवी पत्नी स्व0 श्री बक्षु बैरवा उम्र वयस्क निवासी सुवाणा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
   2/2 भगवान लाल पुत्र स्व0 श्री बक्षु बैरवा उम्र वयस्क निवासी सुवाणा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
   2/3 भैरूलाल पुत्र स्व0 श्री बक्षु बैरवा उम्र वयस्क निवासी सुवाणा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
   2/4 जमनी पुत्री स्व0 श्री बक्षु बैरवा उम्र वयस्क निवासी सुवाणा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
   2/5 इन्द्रा पुत्री स्व0 श्री बक्षु बैरवा उम्र वयस्क निवासी सुवाणा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
   2/6 लादी पुत्री स्व0 श्री बक्षु बैरवा उम्र वयस्क निवासी सुवाणा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. श्री शिवशंकर पुत्र श्री प्रभुलाल खोईवाल उम्र वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा

–विपक्षीगण

उपस्थितः–अधिवक्ता प्रार्थी शंभुदास वैष्णव
अप्रार्थी संख्या 01 एवं 03 उपस्थित नहीं

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम :–

–: <u>निर्णय</u> :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा महुआकलां प0ह0 महुआकलां भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र महुआकलां तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2076–2079 के खाता संख्या 312 की अभिलिखित आराजियात 1088 कुल किता 01 कुल रकबा 0.2908 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

Ahad
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 व 03 उपस्थित नहीं तथा अप्रार्थी संख्या 02 की मृत्यु हो चुकी है। अप्रार्थीगण 02 के अधिवक्ता ने ओ0 –1– आर–10 सी0पी0सी0 का दिनांक 12.09.2023 पेश किया जिस पर प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अनापत्ती अंकीत की है अतः अप्रार्थी संख्या 02 का प्रार्थना पत्र ओ0 –1– आर–10 सी0पी0सी0 स्वीकार किया गया है। संशोधित टाईटल पेश किया। विपक्षी संख्या 2/1 से लगायत 2/6 समन जारी किए गए। समन बाद तामिल प्राप्त नहीं हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा महुआकलां प0ह0 महुआकलां भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र महुआकलां तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2076–2079 के खाता संख्या 312 की अभिलिखित आराजियात 1088 कुल किता 01 कुल रकबा 0.2908 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 26.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(अच्छेद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा